सत्यमेव जयते

RTI matter/ Time Bound

Government of India
Ministry of External Affairs
New Delhi

No. E/551/1/2021-RTI

16 March 2021

To:

Sir,

Please refer to your RTI application bearing Registration No. MOEAF/R/P/21/00088 addressed to Ministry to RTI cell, Ministry of External Affairs, New Delhi received by this Division on 19 February 2021.

2. It may be noted that under the provisions of RTI Act, 2005, a CPIO/ Public Authority is under obligation to provide an applicant only that information which exists in the records and that which is held by or under the control of that authority.

3. The information sought is not available with the undersigned CPIO and the application is being transferred to PAI Division of this Ministry, Ministry of Home Affairs and Ministry of Defence as per the provision of article 6 (3) of the RTI Act, 2005 for sharing information that may be available with them with regard to your query.

4. If you are aggrieved with this reply, you may file an appeal to Shri Satish K. Sivan, Director (East Asia) & Appellate Authority, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi -110001, within a month from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully,

16/3

(Karthik G. Iyer)
DS (China) & CPIO
Room no. 270 A, South Block,
New Delhi – 110001
Telefax: 23011356
Email: dschina2@mea.gov.in

CC to:

1. Shri Arun Kumar, Under Secretary (RTI), MEA, New Delhi
2. Shri Naveen Kumar Ramakrishna, DS (PAK), Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi
3. Shri D S Sachdeva, SO(RTI-I), Room no. 96, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi -110001.
4. Under Secretary (RTI Cell), Room Number-4, Ministry of Defence, South Block, New Delhi

RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)

Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	MOEAF/R/P/21/00088	**Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :**	19/02/2021
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Local Receipt	**Language of Request (अनुरोध**	English
Name (नाम) :			
Address (पता) :			
State (राज्य) :			
Phone Number (फोन नंबर) :			
Email-ID (ईमेल-आईडी) :			
Status (स्थिति)(Rural/Urban) :			
Requester Letter Number(निवेदक पत्र संख्या) :			
Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) :			
		(नागरिकता)	
Amount Paid (राशि का भुगतान) :	0 (Received by Ministry of External Affairs) (original recipient)	**Mode of Payment (भुगतान का प्रकार)**	Details not provided.
Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है?) :	No(Normal)	**Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) :**	US (China)
Information Sought (जानकारी मांगी):	For point no. 4, 5, 6, 7, 8 & 9 only.		
Original RTI Text (मूल आरटीआई पाठ):	For point no. 4, 5, 6, 7, 8 & 9 only.		

Print Save Close

117/21

DEPARTMENT OF POSTS
O/O SENIOR POSTMASTER INDRAPRASTHA HEAD POST OFFICE
NEW DELHI-110002

398

18.02.21

To,

The CPIO,
Ministry of External Affairs
North Block
New Delhi-110001

No:-IPHO/RTI Act-2005/441/20-21 Dated at New Delhi 110002 the 11.02.2021

Sub: Regarding information under RTI Act-2005

The RTI application dated 09.02.2021 received in this office on 09.02.2021 is forwarded herewith for further necessary action as the information sought by the applicant is related to your office. The payment of application fee has been made in the post office under IPO No. 47F 403439 Dated 09.02.2021 for Rs 10/- is enclosed.

D.A

1.Application
2.Rs 10/IPO no 47F 403439

Senior Postmaster
Indraprastha Head Post Office
New Delhi-110002

Pls put up with pps. 18/2

SO-RTI

Linked 18.02.21

US(RTI) Pls transfer this RTI Appl. 18/2

SO/RTI 19/2/21

IPHO/RTI 441/20-21

सेवा में,

1. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
   राष्ट्रपति सचिवालय,
   नई दिल्ली-110001

2. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
   प्रधानमंत्री कार्यालय
   साउथ ब्लॉक
   नई दिल्ली-110001

3. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
   लोकसभा सचिवालय
   संसद मार्ग
   नई दिल्ली-110001

4. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
   राज्यसभा सचिवालय
   संसद भवन एनेक्सी
   नई दिल्ली-110001

5. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
   पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
   रक्षा मंत्रालय
   साउथ ब्लॉक
   नई दिल्ली-110011

6. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
उलान बाटेर रोड, पालम
दिल्ली कैंट
नई दिल्ली-110010

7. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
नीति आयोग
संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

8. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

9. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
विदेश मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

10. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
विधि एवं न्याय मंत्रालय
चौथा तल, ए विंग, शास्त्री भवन
राजेंद्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली-110001

11. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
वित्त मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

12. केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
एविएशन कॉलोनी
आईएनए, नई दिल्ली-110023

विषय: सूचना का अधिकार के तहत जानकारी की मांग

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके विभाग से संबंधित निम्नलिखित जानकारी देने का कष्ट करें:-

1.प्रथम विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी एवं उसके सहयोगी देशों को आक्रमणकारी देश मानकर युद्ध पर जितना युद्ध खर्च एवं दण्ड (War Cost and Penalty) लगा एवं उसमें से ग्रेट ब्रिटेन को जितना हिस्सा मिला और ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से में भारत को स्वतंत्रता से पूर्व या स्वतंत्रता के पश्चात जितना हिस्सा मिला, के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। (मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी से एक लाख टन सोना एलाइड/ब्रिटिश/विजयी देशों ने 92 बर्षों में लिया था)

2.उक्त प्रकरण के संदर्भ में पाकिस्तान ,बांग्लादेश सहित अलग अलग देशों या संयुक्त रूप से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पूर्व उपनिवेश राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्रसंघ(UN) की नीति नियमावली, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जब उठाया और इसके समाधान हेतु अनुमोदित किया गया के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

3. उपरोक्त संदर्भ में उस लाभांश में से ब्रिटिश इंडिया और स्वतंत्र भारत को जितना हिस्सा/राशि मिला तथा इससे संबंधित केंद्र सरकार के निर्णय लेने से पूर्व इस विषय पर आए प्रस्ताव, सुझाव, अनुशंसा,पत्राचार, समिति की रिपोर्ट, निर्णय से संबंधित समस्त जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

4. भारत ने पाकिस्तान, चीन या अन्य किसी देश को आक्रमणकारी, छद्म युद्ध आक्रमणकारी, शत्रु देश घोषित किया है एवं उसके विरुद्ध अब तक की गई कारवाई की रिपोर्ट सहित जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

5. उक्त संदर्भ में भारत सरकार की विदेश नीति की पूरी प्रक्रिया, प्रक्रिया का आधार, इस प्रक्रिया के लिए आग लेने वाले मंत्रियों एवं अधिकारियों के नाम व पदनाम, समस्त मीटिंग, मिनिट, नोटिंग ,नीति, नियमावली, सर्कुलर सहित जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

6.उक्त प्रकरण में युद्ध खर्च एवं दण्ड जिस नियम और आधार के अंतर्गत लगाया गया था, उसी आधार या किसी अन्य आधार पर भारत सरकार ने भारत पर हुए आक्रमणों का हानि व मूल्य का आकलन करवाया उसपर हुई कारवाई एवं वसूली हेतु किए गए समस्त प्रयास के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

7. उक्त प्रकरण में भारत को war Cost & Penalty का हिस्सा नहीं मिलने से वित्तीय आर्थिक अभाव, नुकसान होने तथा देश के संवैधानिक अधिकार की उपेक्षा एवं मानवाधिकार हनन के मामले पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ,राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेने तथा इससे संबंधित प्राप्त शिकायती पत्र एवं उसपर हुई कारवाई, निर्णय के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

8.उपरोक्त विषय के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, गृह मंत्री,रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रश्नोत्तर, आपसी पत्राचार की समस्त पत्रावली की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

9. उपरोक्त विषय को अंतर्राष्ट्रीय मानवता समस्या के रूप में चिंहित करवाने के लिए भारत सरकार के प्रयास, पहल योगदान, भूमिका, प्रस्तावित योजना,नीति, नियमावली से संबंधित सर्कुलर सहित जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

इस आरटीआई आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में दस रुपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या : 47F403439 संलग्न है। कृपया निर्धारित समयावधि में हिंदी में ही (गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधिनियम के अनुसार) जानकारी देने का कष्ट करें। जो जानकारी आपके विभाग से संबंधित ना हो उस RTI एक्ट की धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग में स्थानांतरित कर उसकी सूचनार्थ प्रति मुझे भी भेजने का कष्ट करें।

Sourse:https://www.bhaskar.com/international/news/germany-reparations-ww1-treaty-of-versailles-world-war-i-acts-hindi-01580701.html

जर्मनी पर 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर आर्थिक दंड लगा था, चुकाने में 91 साल लगे

- नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का युद्धविराम हुआ, इसके 7 महीने बाद 28 जून 1919 को वर्साय संधि हुईसंधि में जर्मनी को युद्ध भड़काने का जिम्मेदार माना गया और उस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए गएजर्मनी पर बड़ा आर्थिक दंड लगा, उसका 15% क्षेत्र छीन लिया गया, सैन्य क्षमता भी सीमित कर दी गईसंधि के विरोध में जर्मनी में जनाक्रोश था, इससे हिटलर और नाजीवाद के उदय में मदद मिली

पेरिस. पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर 269 अरब गोल्ड मार्क (तत्कालीन जर्मन करंसी) का आर्थिक दंड लगाया गया था। यह करीब 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर था। आज से ठीक 100 साल पहले 28 जून 1919 को हुई वर्साय की संधि के तहत जर्मनी पर यह आर्थिक दंड लगा था। हालांकि, इसे बाद में कई बार संशोधित कर कम किया गया, लेकिन तब भी यह इतना था कि इसे चुकाने में जर्मनी को पूरे 91 साल लग

इसके साथ ही जर्मनी पर कई कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध भी लगाए गए थे। दरअसल, युद्ध में विजय हुए मित्र राष्ट्र (अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली व अन्य) ने जर्मनी को पहला विश्व युद्ध भड़काने का जिम्मेदार माना था। भविष्य में ऐसी नौबत न आए, इसलिए जर्मनी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि मित्र राष्ट्रों की यही सोच गलत साबित हुई और बाद में इसी संधि के कड़े प्रावधान दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने का कारण बने।

संधि मानने के अलावा जर्मनी के पास कोई विकल्प नहीं था

पहले विश्व युद्ध के दौरान 11 नवंबर 1918 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्धविराम हुआ था। जनवरी 1919 में आधिकारिक रूप से युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते पर बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत केवल विजेता देशों के बीच हुई। इसमें जर्मनी और उसके सहयोगी देश आस्ट्रिया-हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया को नहीं बुलाया गया। अमेरिका, ब्रिटेन

फ्रांस और इटली के नेताओं ने ही इस संधि के प्रावधान तैयार किए। संधि का उद्देश्य था कि जर्मनी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वह भविष्य में किसी देश के लिए खतरा साबित न हो

5 महीने तक चली इस बातचीत के बाद मई 1919 में जर्मनी को इस संधि के कड़े प्रावधानों के बारे में बताया गया। 17 जून को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को संधि मानने के लिए 5 दिन का समय दिया, न मानने की स्थिति में फिर से युद्ध की धमकी दी गई। 28 जून 1919 को पेरिस के बाहरी इलाके में स्थित वर्साय महल में 240 पेज और 440 दंडनीय कानून वाली इस संधि पर जर्मन नेताओं ने हस्ताक्षर कर दिए।

37 मिनट की बैठक

संधि पर हस्ताक्षर के लिए दिन और जगह का चुनाव भी जर्मनी को अपमानित करने वाला था। संधि पर हस्ताक्षर के लिए वर्साय महल के हॉल ऑफ मिरर्स को चुना गया था। यहीं 1871 में फ्रांस की हार पर जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। वहीं तारीख 28 जून इसलिए चुनी गई, क्योंकि इसी दिन 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, 28 जून के दिन यह इवेंट महज 37 मिनट चला। इसमें 32 देशों के 27 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए थे।

जर्मनी से छीन लिया गया था उसका 15% क्षेत्र

वर्साय की संधि ने यूरोप का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया था। जर्मनी को अपना करीब 15% क्षेत्र खोना पड़ा था। इस क्षेत्र में जर्मनी की कुल जनसंख्या के 10% लोग रहते थे। संधि के तहत, जर्मनी के अलसेक और लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को दे दिए गए। बर्लिन की दीवार बनाकर जर्मनी को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया। पोलैंड को अलग देश बनाया गया। इसी तरह फिनलैंड, लिथुनिया, लातविया और चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी के नियंत्रण से आजाद कर दिया गया।

ऑस्ट्रिया और हंगरी के एक बड़े हिस्से को अलग कर यूगोस्लाविया बना दिया गया। संधि ने जर्मनी की सैन्य क्षमता को भी सीमित कर दिया। इसके मुताबिक, जर्मनी 1 लाख से ज्यादा

सैनिक नहीं रख सकता था। उसकी एयरफोर्स पर पूरी तरह बैन था। नेवी से बड़े जहाज छीन लिए गए और 36 छोटे जहाजों तक सीमित कर दिया गया। नेवी का पनडुब्बी रखना प्रतिबंधित था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के गठबंधन पर भी बैन लगा दिया था।

पूरा जर्मनी संधि के विरोध में था, हिटलर ने इसे ही हथियार बनाया

जर्मनी के लोगों के लिए यह संधि एक अपमान की तरह थी। संधि के कठोर प्रावधानों से लोग गुस्सा थे। भारी-भरकम आर्थिक दंड की किश्तों ने देश का औद्योगिक उत्पादन घटा दिया। एक साल के अंदर ही जर्मनी में महंगाई दर बेलगाम हो गई। देश में मंदी का दौर आया और जर्मनी आर्थिक रूप से अस्थिर हो गया। जर्मन नागरिक इस पूरी स्थिति के लिए वर्साय की संधि को दोष देते थे। पहले विश्व युद्ध में सैनिक रहे एडोल्फ हिटलर ने इसी बात को भुनाया और अपनी पार्टी बनाई। हिटलर और उनकी पार्टी वर्साय की संधि के विरोधी थे।

हिटलर अपने भाषणों में जर्मनी की बिगड़ती हालत के लिए वर्साय की संधि को जिम्मेदार ठहराता था। जर्मनी पर यह संधि थोपने के लिए वह मित्र राष्ट्रों के गठबंधन को दोष देता था और साथ ही जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों को भी जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। 1933 में सत्ता में आने के बाद हिटलर ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया।

जर्मनी को आर्थिक दंड चुकाने में लगे 91 साल

वर्साय की संधि के तहत लगे आर्थिक दंड को चुकाने में जर्मनी को 91 साल लगे। जर्मनी ने इस दंड की आखिरी किश्त 2 अक्टूबर 2010 को चुकाई। संधि के तहत जर्मनी पर पहले 269 अरब गोल्ड मार्क आर्थिक दंड लगा था, जिसे 1929 में घटाकर 112 अरब गोल्ड मार्क (42 हजार टन सोने की कीमत के बराबर) कर दिया गया। वैश्विक आर्थिक संकट के चलते 1931 में जर्मनी को सालाना किश्त चुकाने में राहत दी गई लेकिन जब 1933 में हिटलर को सत्ता मिली तो उसने आर्थिक दंड चुकाने से साफ इनकार कर दिया।

20 साल बाद बकाया भुगतान चुकाने के लिए 1953 में लंदन में एक नया समझौता हुआ, जिसके तहत पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एक होने तक कुछ भुगतानों को सस्पेंड कर दिया गया। इस दौरान बाकी भुगतान पश्चिमी जर्मनी भर रहा था। 1990 में जब जर्मनी फिर एक हुआ, तो बकाया भुगतान चुकाना शुरू हुआ। हालांकि 1990 में जर्मनी पर बकाया भुगतान का कुछ अंश और माफ कर दिया गया।

WAR COST and WAR PENALITY

Germany is finally paying off World War I reparations, with the last 70 million euro (£60m) payment drawing the debt to a close.
Interest on loans taken out to the pay the debt will be settled on Sunday, the 20th anniversary of German reunification.
It is about time, some would say.
More than nine decades after the war, Germany - now a leading European Union state and the largest economy in Europe - has long cast off its post-WWI image of a defeated, beleaguered Weimar Republic.
So why has it taken so long for it to shed its age-old debt?
The European nation was not expecting to lose the war, let alone anticipate being burdened with payments that would reach into the next century.
But, in 1919, the victors of the war wrote Germany's guilt into the Versailles Treaty at the infamous Hall of Mirrors, and collectively decided that it should pay a high price for that guilt.
About 269bn gold marks, to be exact - the equivalent of around 100,000 tonnes of gold.
Source: https://www.bbc.com/news/world-europe-11442892

Other Sources:
Germany Set to Make Final World War I Reparation Payment
Germany will finally pay off its war debt for WW I on Oct. 3.

By DAVID CROSSLAND
29 September 2010, 20:26

---

https://abcnews.go.com/International/germany-makes-final-reparation-payments-world-war/story?id=11755920

जर्मनी पर 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर आर्थिक दंड लगा था, चुकाने में 91 साल लगे
https://www.bhaskar.com/international/news/germany-reparations-ww1-treaty-of-versailles-world-war-i-acts-hindi-01580701.html